24.4.25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित हुये।
प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण मे प्रशासन गांवो के संग अभियान मे प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 24.5.23 को शुरू जारी वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया था/प्रकरण PD पालना मे था परन्तु वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की तारीख सहवन से 20.3.24 के बजाय 20.4.24 अंकित हो जाने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही होने के बावजूद प्रतिवादीगण को मुलाहिजे मे रखकर वादी के अनुपस्थित होने का कथन कर वाद अदम हाजरी अदम पैरवी मे दिनांक 20.3.24 को खारिज करवा दिया। वादी को जब 20.4.24 को अब ध्यान मे आया कि शनिवार को माननीय न्यायालय मे अवकाश रहता है जिस वादी अधिवक्ता द्वारा 22.4.24 को माननीय न्यायालय मे न्यायिक कर प्र.पत्र पेश कर दिया व दिनांक 8.5.24 को नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 20.3.24 को अपास्त कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण PD हेतु दिनांक 20.3.25 को PD हेतु लम्बित है। प्रकरण मे दिनांक 20.3.24 से पूर्व वादी की अनुपस्थिति का

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ...

कमल विपक्षी छोगली

मुकदमा विविध पत्रावली संख्या 2/24 सन्

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
अतः पत्रावली पर नहीं होने से व प्रकरण PD रिपोर्ट मे होने से तथा दिनांक 20.2.24 के बजाय 20.4.24 अंकित होना व इस कारण उपस्थित नहीं हो पाना बताया गया जोकि प्रार्थी का उचित कारण प्रतीत होता है तथा वादी का उक्त वाद बंटवारे का होकर PD रिपोर्ट में लम्बित है, वादी अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा कराने के विधिक अधिकारी है उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।	
अतः प्रार्थना पत्र ~~स्वीकार~~ O9R9 स्वीकार किया जाता है तथा मूल प्रकरण वाद संख्या 38/20 बउनवान कमल बनाम छोगली मे पारित निर्णय दिनांक 20.3.2024 अपास्त करते हुए मुलवाद पुनः नम्बर पर लिए जाने के आदेश दिए जाते है मूलवाद पुनः दर्ज रजि० किया जाकर दिनांक 3.6.25 को पेश हो	
निर्णय लेटखुलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुदा हस्ब नम्बर संकलन हो।	
(हस्ताक्षर) (सोनिया कुमारी) RAS	